

श्रीमान जी,

2022 | 189

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खुलवाने का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है।

प्रार्थीया परमजीतकौर पुत्री स्व० प्रीतम सिंह मुत्ती पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी वार्ड नं० 8 चक 2 एसएनएम हनुमानगढ ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, रसीद की फोटोप्रति, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता प्रीतम सिंह मुत्ती पुत्र चानन सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 6 जीबी(बी) तहसील श्रीविजयनगर व जिला श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 19.09.2005 को एक बंद वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 28.11.2019 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 19.09.2005 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा वारिसनामा व मूल रसीद नहीं पेश की गयी है बल्कि शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी को गवाहान राजेन्द्र सिंह पुत्र भान सिंह एवं गुरमहेन्द्रकौर पत्नी मलकीयत सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रमनदीप सिंह ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।
पत्रावली अवलोकनार्थ / आदेशार्थ प्रस्तुत है।

[Handwritten signature]
22/11/22

जिला पंजीयक महोदय

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
22/11/22